PTCUL
पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः 16 .12.2020

विषय :–उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ससमय मानदेय एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान भुगतान करने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के कार्यालय पत्रांक 3002/लेखा/उपनल दिनांक 11.12.2020 की छायाप्रति इन निर्देशों के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों में नैष्ठिक अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।

सलग्नकः–यथोपरि।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0

पत्रांकः 1998 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

16/12/2020
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

Byemail

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Station Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt, Dehradun - 248 003 Teletax 0135-2754041
स्टेशन सब एरिया कैंटीन काम्पलेक्स, गढ़ी कैंट, देहरादून 248003 टेलीफैक्स: 0135-2754041
E-mail : uuni.ua@rediffmail.com

पत्र संख्याः 3002 / लेखा / उपनल 11 दिसम्बर 2020

सेवा में,

(समस्त विभाग)
उत्तराखण्ड

विषयः– उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ससमय मानदेय एवं अन्य समाजिक सुरक्षा अंशदान भुगतान करने के सम्बन्ध में।

1. अवगत कराना जाता है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में संविदा पर प्रायोजित कार्मिकों को विभाग (मुख्य नियोक्ता) द्वारा नियुक्त कार्मिक को प्राथमिकता के आधार पर ससमय मानदेय एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे कर्मचारी भविष्यनिधि योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ प्रदान करना मुख्य नियोक्ता (विभाग) का दायित्व है।

2. उपरोक्त के मध्यनजर समय–समय पर शासन द्वारा शासनादेश भी जारी किया जाता रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कई विभाग ससमय कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका एवं बीजकों का भुगतान नही करते है जिस कारण श्रम कानून, कर्मचारी भविष्यनिधि योजना एवं राज्य बीमा कर्मचारी संगठन के अधिनियमों का उल्लंघन होता है जिसके फलस्वरूप अधिनियमों के उल्लंघन पर विलम्ब शुल्क के साथ अर्थ दण्ड भी भुगतान करने के आदेश जारी किये जाते हैं जिनके भुगतान करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता (विभागों) की ही है। उपनल उत्तराखण्ड सरकार का एक सेवाप्रदाता संस्था है जो कि विभागों (मुख्य नियोक्ताओं) की मांग के अनुसार संविदा कार्मिकों को प्रायोजित करता है जिसके फलस्वरूप उपनल को सर्विस चार्ज के रूप में मात्र 2.5 प्रतिशत की राशि प्राप्त होती है। जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। और इस राशि से उक्त प्रकार के अर्थदण्ड का भुगतान करना सम्भव नही है।

3. अधिनियमो के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना का अंशदान प्रत्येक माह के 15 तारीख तक जमा करने की बाध्यता है इसके अतिरिक्त 15 तारीख के बाद अंशदान विलम्ब से जमा करने पर विलम्ब शुल्क एवं ब्याज दर का अर्थ दण्ड निम्नानुसार भुगतान करने का प्राविधान है :–

क्र0सं0	विलम्ब से जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क	ब्याज की दर	अधिकार (Authority)
(क)	2 माह से कम	5 प्रतिशत	12 प्रतिशत	ई0एस0आई0 एक्ट– 1948 एवं ई0पी0एफ0 एक्ट– 1952
(ख)	2 व उससे अधिक 04 माह से कम	10 प्रतिशत	12 प्रतिशत	
(ग)	4 व उससे अधिक 6 माह से कम	15 प्रतिशत	12 प्रतिशत	
(घ)	6 माह व उससे अधिक	25 प्रतिशत	12 प्रतिशत	

4. यदि किसी भी विभाग द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका / बीजकों के भुगतान निर्धारित समय के बाद हुई तो उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड विभाग से वसूल किया जायेगा।

SPO / AE
14/12

5. समस्त विभागों (मुख्य नियोक्ताओं) से अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लेखित श्रम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनाओं के अधिनियमों का उल्लंघन न किया जाये ताकि मुख्य नियोक्ता (विभाग) एवं सेवा प्रदाता संस्था (उपनल) अनावश्यक रूप से कानूनी प्रकरण के अधीन न आये।

6. अनुरोध किया जाता है कि किसी भी विभाग में कार्यरत **उपनल संविदा कार्मिकों की मासिक उपस्थिति पंजिका प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपनल मुख्यालय में प्रस्तुत करें** ताकि इन संविदा कार्मिकों के ससमय बीजक बनाये जांये और (मुख्य नियोक्ताओं) विभागों द्वारा ससमय बीजको का भुगतान कर कर्मियों को यथासमय मासिक मानदेय भुगतान किया जा सके इससे समस्त सांवधानिक(Statutory) अंशदान भी यथासमय जमा कराया जा सकेगा।

7. अतः आपसे आग्रह है कि कार्मिको के वेतन बीजकों का भुगतान शीघ्रताशीघ्र उपनल को करने का कष्ट करें एवं विवरण निम्न प्रारूप में उपनल की ई-मेल आई डी-accounts@upnl.net पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र0स0	बीजक संख्या	टी0डी0एस0 कटौती	जी0एस0टी0 कटौती	उपनल को शुद्ध भुगतान	उपनल को भुगतान की तारीख	ट्रान्जैक्शैक्शन आई.डी.नम्बर	बैंक ट्रांजैक्शन (UTR NO.)
1.							

8. समस्त विभागों (मुख्य नियोक्ता) से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में जारी कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा ऑन लाईन सिस्टम को प्राथमिकता दी जाय। उपनल की ई मेल आई डी एवं पूछताछ नम्बर निम्नलिखित है :-

(क) क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय rpo@upnl.co.in
पूछताछ नम्बर 0135-2750178

(ख) बीजक अनुभाग billing@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135-2750913

(ग) वेतन अनुभाग accounts@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135-2750913

(घ) एकाउन्ट अनुभाग accounts@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135-2752178

(ड) ई0पी0एफ0 अनुभाग epf@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135-2750140

(च) ई0एस0आई0 अनुभाग esi@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135-2752178

(छ) आई0टी0आई0 अनुभाग itsection@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135-2752178

(ज) सूचना info@upnl.co.in
पूछताछ नम्बर 0135-2752178

(झ) अनुबन्ध अनुभाग agreement@upnl.co.in
पूछताछ नम्बर 0315-2752178

भवदीय,
सुनील

कैप्टन (भा0नौ0) एस0के0 शर्मा (अ0प्रा0)
उप-महाप्रबन्धक (वित्त)

HR/Admn/PTCUUD.Dun
Diary No. 2855
File.........
Date 14/12/20